

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 343 A/2021

वादीगण-

1. मोटाराम पुत्र भगवानाराम
जाति-जाट, निवासी- आंवलियासर, तहसील-जायल, जिला-नागौर।


बनाम

प्रतिवादीगण -

1. भोलाशंकर पुत्र भगवानाराम
2. लिछमा पुत्री भगवानाराम
3. प्रेम पुत्री भगवानाराम
4. सोहनी पुत्री भगवानाराम
5. सुमित्रा उर्फ सुमन पुत्री भगवानाराम
6. भगवानाराम पुत्र राजूराम
जातियान-जाट, निवासीगण-आंवलियासर, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
7. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 स्वयं उपस्थित एवं अधिवक्ता रामप्रकाश बैदा
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित




दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 17-11-2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बड़ेर की पुस्तैनी भूमि मौजा आंवलियासर तहसील जायल में खेत खसरा नंबर 143 रकबा 7.0820 हैक्टेयर, खसरा नंबर 151 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, व खेत खसरा नंबर 161 रकबा 4.2492 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा मौखिक तौर पर सम्वत् 2065 में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से ख) के अनुसार कर सिंव-नींव अलग-अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी मोटाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा आंवलियासर का खेत खसरा नंबर 161 रकबा 4.2492 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 151 रकबा 0.3804 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त हक बंट में मौजा आंवलियासर का खेत खसरा नंबर 143 रकबा 7.0820 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र


17-11-2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल


प्रस्तुत किया है जिसे माफिके नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने दिनांक 17.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट आंवलियासर में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की पहचान ग्राम अधिवक्ता रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 का सम्मन स्वयं कैम्प कोर्ट में उपस्थित, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 7 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह मोटाराम पुत्र भगवानाराम के पेश हुये, साथ नकल जमाबन्दी ग्राम तहसील जायल ग्राम आंवलियासर तहसील-जायल सम्बत् 2073-2076 खाता संख्या 113 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिके राजीनामा में वर्णित पैराज माफिके अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिके राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिके बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामों पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.11.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिके नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल


प्रकरण हाजा में मौजा आवंलियासर के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा खेत खसरा नं. 161, 151 की भूमि का माफिक सहमति राजीनामा अनुसार वादी मोटाराम के बंट चाहा है तथा शेष मुतदाविया मौजा आवंलियासर के खेत खसरा नंबर 143 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हक बंट में रखी गई है। अतः मौजा आवंलियासर के खेत खसरा नंबर 161, 151, 143 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को प्रतिवादी संख्या 6 के साथ सहखातेदार घोषित कर पक्षकारान के द्वारा खेताय विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा आवंलियासर के खेत खसरा नंबर 161, 151, 143 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को प्रतिवादी संख्या 6 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मोटाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 161 रकबा 4.2492 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 151 रकबा 0.3804 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त हक बंट में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 143 रकबा 7.0820 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



[Handwritten Signature]
17-11-2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक न्यायाधीश
उपखण्ड न्यायालय
(एन.डी.ओ.)
जयपुर

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 243/2021

वादीगण-

1. मोटाराम पुत्र भगवानाराम, जाति-जाट, निवासी- आंवलियासर, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
बनाम

प्रतिवादीगण -

1. भोलाशंकर पुत्र भगवानाराम
2. लिछमा पुत्री भगवानाराम
3. प्रेम पुत्री भगवानाराम
4. सोहनी पुत्री भगवानाराम
5. सुमित्रा उर्फ सुमन पुत्री भगवानाराम
6. भगवानाराम पुत्र राजूराम,
जातियान-जाट, निवासीगण-आंवलियासर, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
7. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 स्वयं उपस्थित एवं अधिवक्ता रामप्रकाश बेंदा
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित


दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 स्वयं उपस्थित एवं अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा व प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा आंवलियासर के खेत खसरा नंबर 161, 151, 143 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को प्रतिवादी संख्या 6 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मोटाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा आंवलियासर का खेत खसरा नंबर 161 रकबा 4.2492 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 151 रकबा 0.3804 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त हक बंट में मौजा आंवलियासर का खेत खसरा नंबर 143 रकबा 7.0820 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।




(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

राजस्व वाद 243/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
मोटाराम पुत्र भगवानाराम वगैरह

तीज - मुबलिग - बाबत - खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख17.11.2021..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।


17.11.2021
(रवीन्द्र क. स. कुलकर्णी)
सहायक कलेक्टर (सहायक जज) अधिकारी
जायत (नागौर)